

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
(1117)

1. उक्त स्थान पर

2. कार्य का

3. उक्त स्थान पर किया जाकर पाता रिपोर्ट मिलवाये।

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल

178

178

178

दिनांक:- 11/11/17

पदेन सहा. कलक्टर,

उपखण्ड अधिकारी एवं

लोक अदालत

पीठासीन अधिकारी

(1117)

क0स0	ग्राम	खता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	साधुपुर	31, 39 व 185	अशुद्ध प्रविष्टि	क 0 स 0 म 0

से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

सम्बन्ध में खता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप
अनुसरण में ग्राम साधुपुर तहसील व जिला साधुपुर की जमाबन्दी
की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के
अनुसार की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार
प्रार्थी के "खता ईरस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी साधुपुर व मूअजि

:- आदेश :-

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प
राजस्थान सरकार